माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

संबद्ध अध्ययन संस्थाओं के साथ बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांकः 12–08–2025

स्थानः विश्वविद्यालय परिसर, भूतल स्थित सभागार

दिनांक 12 अगस्त 2025 को विश्वविद्यालय परिसर के भूतल स्थित सभागार में संबद्ध अध्ययन संस्थाओं के अनुरोध पर माननीय कुलगुरू जी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में
माननीय कुलगुरू श्री विजय मनोहर तिवारी,
कुलसचिव श्रीमती पी. शशिकला,
निदेशक (संबद्ध अध्ययन संस्थाएं): डॉ. आशीष जोशी,
परीक्षा नियंत्रक डॉ. राजेश पाठक और
मध्यप्रदेश के विभिन्न अंचलों से विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थाओं के करीब 60 प्रतिनिधि उपस्थित थे।

विभिन्न संबद्ध अध्ययन संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा माननीय कुलगुरू महोदय का शाल, श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। साथ ही, कुलगुरू महोदय को एक भगवान पशुपतिनाथ का चित्र भी स्मृति–चिह्न के रूप में प्रदान किया गया।

बैठक के प्रारंभ में उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये निदेशक (संबद्ध अध्ययन संस्थाएं) डॉ.आशीष जोशी ने सभी से माननीय कुलगुरू श्री विजय मनोहर तिवारी जी का परिचय कराया।

माननीय कुलगुरू का उद्बोधन

बैठक का शुभारंभ करते हुए माननीय कुलगुरू महोदय श्री विजय मनोहर तिवारी ने संबोधित करते हुए सभी प्रतिनिधियों को विश्वविद्यालय परिवार का अभिन्न अंग बताते हुए कहा कि संबद्ध संस्थाएं इस संस्थान की नींव हैं। उन्होंने सभी को मिल–जुलकर विश्वविद्यालय की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया।

संस्थानों द्वारा प्रस्तुत समस्याएं एवं सुझाव

1. बैठक के दौरान विभिन्न संबद्ध अध्ययन संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं एवं सुझाव माननीय कुलगुरू महोदय के समक्ष रखे, जो इस प्रकार हैं:
2. मध्यप्रदेश के समस्त अध्ययन केन्द्रों में बहुत अधिक संख्या में छात्र, छात्राएं अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय के डिग्री पाठयक्रमों हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जा रही है। जबकि ऑल इंडिया सर्वे फार हायर एजुकेशन (AISHE) के पोर्टल पर एवं AICTE में रजिस्ट्रेशन फार्म में छात्रवृत्ति के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की जानकारी मांगी जाती है। इस संबंध में विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थाओं के नाम काउंसलिंग पोर्टल पर प्रदर्शित हो।
3. DCA एवं PGDCA पाठयक्रमों को मध्य प्रदेश की शासकीय सेवाओं हेतु CPCT के स्थान पर प्राथमिकता दी जाए। मध्यप्रदेश के सभी जिलों एवं तहसीलों में विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थाएं संचालित हैं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2017 में पटवारी चयन हेतु भर्ती निकाली गयी थी जिसमें पूर्व से मांगे जाने वाले एकवर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डीसीए,पीजीडीसीए) की अनिवार्यता को समाप्त कर सीपीसीटी परीक्षा को तकनीकी योग्यता

निरंतर 01

म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, बिशनखेड़ी, भोपाल (म.प्र.) 462044, फोन : (0755) 2572538, 2574531, 9202767051
Near MP State Shooting Academy, Bisenkhedi, Bhopal (MP) 462011, Phone-(0755) 2572538, 2574531, 9202767051
E-mail: asimcrpv@gmail.com. Website – www.mcu.ac.in. www.mcnuic.ac.in

23/9/2025
डॉ. आशीष जोशी
निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्थाएं विभाग

पूर्व पृष्ट से जारी ....

के रूप में सम्मिलित किया गया। जो कि मात्र एक टायपिंग परीक्षा है। (विश्वविद्यालय से संबद्व अध्ययन संस्थाओं में कम्प्यूटर डिप्लोमा पाठ्यकम (डीसीए,पीजीडीसीए) में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या लगभग 1 लाख है।)

सीपीसीटी परीक्षा को अनिवार्य किये जाने के कारण विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश में कमी आयी है। इसके लिये विश्वविद्यालय द्वारा मध्यप्रदेश शासन को पत्र भी लिखा गया है।

4. यदि संभव हो तो CPCT के स्थान पर DCA एवं PGDCA पाठयक्रमों में पृथक से CPCT के पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग विषय जोड़े जाएं।
5. प्रदेश स्तर पर विभिन्न संबद्ध संस्थाओं में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन जारी कराया जाए।
6. संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मा. कुलगुरू महोदय से आग्रह किया कि परीक्षा केन्द्र का निर्धारण करते समय केन्द्र से संबंधित संस्थाओं की दूरी का ध्यान रखा जायें। दूरी की अधिकता हो तो नये परीक्षा केन्द्र स्थापित किये जाये। शासकीय विद्यालयों को भी परीक्षा केंद्र दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बनाए जाएं।
7. विश्वविद्यालय द्वारा जारी मार्कशीट में अध्ययन संस्थान का नाम अनिवार्य रूप से मुद्रित किया जाए।
8. यदि मार्कशीट में संस्थान का नाम मुद्रित न हो सके तो कम से कम संस्थान की मुहर लगाने हेतु अलग से बॉक्स का प्रावधान किया जाए।
9. विश्वविद्यालय का आदेश, जिसमें BCA पाठयक्रम में 20% सीटों को भरने की अनिवार्यता है, उसे निरस्त किया जाए।
10. प्रायोगिक परीक्षा के समय परीक्षक पैनल में संबद्ध संस्थाओं के संचालकों एवं वरिष्ठ शिक्षकों को भी शामिल किया जाए।
11. संस्थाओं का निरीक्षण QCI के माध्यम से कराया जाए।
12. संस्थान की वार्षिक नवीनीकरण शुल्क न्यूनतम ₹25,000 किया जाये।
13. फर्जी संस्थाओं का सत्यापन संबंधित जिले के कलेक्टर एवं तहसीलदार के माध्यम से कराया जाए।
14. सुरक्षा निधि FDR के रूप में ली जाए।
15. वर्तमान में MP Online के माध्यम से संचालित शुल्क भुगतान व्यवस्था के स्थान पर विश्वविद्यालय स्वयं की अलग भुगतान प्रणाली विकसित करे।
16. संबद्ध संस्थाओं से पासआउट विद्यार्थियों हेतु विश्वविद्यालय में ओपन कैंपस ड्राइव का प्रावधान किया जाए।
17. आंतरिक अंक पोर्टल पर पुनः भरने हेतु विलंब शुल्क में रियायत दी जाए।
18. प्रत्येक संबद्ध संस्था में माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्मतिथि एवं पुण्यतिथि मनाई जाए।

संस्थाओं की मांग पर मा. कुलगुरू के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विचार किया गया। विचार उपरांत यह निर्णय लिया गया कि–

1. बीसीए पाठ्यक्रम में 20 प्रतिशत कम प्रवेश पर नामांकन नहीं करने का निर्णय संस्थाओं का आर्थिक पक्ष मजबूत करने की दृष्टि से लिया गया है। संस्थाओं ने अगर 20 प्रतिशत से कम बच्चों को प्रवेश दिया तो 03 वर्षो तक अध्ययन–अध्यापन की व्यवस्था करनी होगी जिससे इन्हें अधिक कठिनाई होगी।

निरंतर 02

23/9/25
डॉ. [illegible]
निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्थाएं [illegible]

पूर्व पृष्ट से जारी ....

2. मध्यप्रदेश के विभिन्न संभागों में संचालित संस्थाओं के लिए संभाग स्तर पर विश्वविद्यालय जनवरी 2026 सत्र से चयनित समाचारपत्रों में विज्ञापन जारी करेगा। विज्ञापन में विश्वविद्यालय वेबसाइट का उल्लेख करते हुये जिलेवार संस्थाओं के नाम एवं पते की लिंक उपलब्ध होगी। इसकी व्यवस्था वेबसाइट प्रभारी द्वारा की जायेगी।
3. परीक्षा केन्द्र बहुत ही संवेदनशील एवं जिम्मेदारी का कार्य है। इससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इसको देखते हुए वर्तमान परीक्षा केन्द्रों के अतिरिक्त जिन स्थानों पर 400 या उससे अधिक विद्यार्थी–परीक्षार्थी होंगे, उन स्थानों पर नये परीक्षा केन्द्र बनाये जा सकते हैं।
4. विश्वविद्यालय नवीन पाठ्यक्रम यथा पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी आदि तैयार करने पर कार्य कम्प्यूटर विभाग कर रहा है। संबंध अध्ययन संस्थाओं के लिए उपयोगी इन पाठ्यक्रमों को तैयार होने पर इनके संचालन की अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी।
5. अन्य विश्वविद्यालय एवं नियोक्ता द्वारा पूर्व में किये गये प्रश्नों को देखते हुये अंकसूची में संस्थान की मुहर की मांग व्यावहारिक प्रतीत नहीं होती है।
6. बीसीए, एमएससी (कंप्यूटर साइंस) एवं संबद्ध अध्ययन संस्थानों में संचालित होने वाले अन्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्रायोगिक परीक्षा के लिए प्रायोगिक परीक्षकों के पैनल हेतु आवश्यक अर्हता रखने वाले शिक्षकों के बायोडाटा आमंत्रित किए जाएंगे। इसके लिए कम्प्यूटर विभाग के विभागाध्यक्ष से सम्पर्क कर सकते हैं।
7. संस्थाओं का निरीक्षण क्वालिटी काउंसिल आफ इंडिया (QCI) से करवाना फिलहाल व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं है। भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है।
8. संबंध अध्ययन संस्थाओं को लगता है कि यदि उनके क्षेत्र में कुछ फर्जी संस्थाएं यानी जिनकी विश्वविद्यालय से संबद्धता नहीं है और वह फिर भी विश्वविद्यालय के नाम का दुरुपयोग कर रही हैं तो ऐसी संस्थाओं की सूची दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें। सूची प्राप्त होने के बाद विश्वविद्यालय संबंधित जिला प्रशासन के माध्यम से उनके विरुद्ध कार्रवाई कराने का पूर्ण प्रयास करेगा। विश्वविद्यालय फर्जी संस्थाओं पर अपने स्तर पर भी कार्यवाही कर रहा है।
9. संस्थाएं अपने शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, उपलब्ध स्थान (आर्किटेक्ट द्वारा सत्यापित नक्शें) आय–व्यय की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित प्रति विश्वविद्यालय को प्रति वर्ष उपलब्ध करायें।
10. मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार फीस जमा करने और अन्य कार्य हेतु एमपी ऑनलाइन की सेवाएं ली जा रही हैं। इस संबंध में राज्य शासन के निर्देशों का ही पालन किया जाएगा।
11. आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के अभाव में परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जा सकता। पूर्व में इन अंकों के अभाव में परिणाम जारी करने में विलंब हुआ है। अंकों को एमपी ऑनलाईन के माध्यम से भरने के लिए लगभग एक माह का समय दिया जाता है संस्थाएं निर्धारित समय सीमा में अंक भर सकती हैं। वर्तमान में इंटरनल मार्क्स भरने की मौजूदा प्रक्रिया समय पर परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए व्यावहारिक एवं संतोषजनक है।
12. विश्वविद्यालय सभी संबद्ध अध्ययन संस्थाओं से यह अपेक्षा करता है कि वे पं. माखनलाल चतुर्वेदी जी की जयंती एवं पुण्यतिथि पर अपने संस्थान में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करें।

23/9/2025

डॉ. आशीष जोशी
निदेशक संबद्ध अध्ययन संस्थाएं विभाग

म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, बिशनखेड़ी, भोपाल (म.प्र.) 462044, फोन : (0755) 2572538, 2574531, 9202767051
Near MP State Shooting Academy, Bisenkhedi, Bhopal (MP) 462011, Phone-(0755) 2572538, 2574531, 9202767051
E-mail: asimcrpv@gmail.com, Website – www.mcu.ac.in, www.mcnuic.ac.in